

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 73/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

भगवान चाट भण्डार, आगरा गेट, अजमेर जरिये श्री हुकुम सिंह पुत्र श्री ढिल्लुमल, निवासी-बापूनगर, अजमेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर - पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 28.08.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.02.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा भोजन बनाकर ग्राहकों को कीमतन विक्रय करते पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग पाये जाने पर अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से एक घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	564869	IOC	20.8	15.7	5.1	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरुपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः एक घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर चन्द्रयान गैस ऐजेन्सी के कार्मिक श्री अय्युब खान पुत्र श्री कय्युम खान, निवासी-फकीराखेडा, अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये, जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।



जिला कलक्टर
अजमेर


पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 17.02.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

जवाब में अप्रार्थी का कथन है कि उसकी दुकान व मकान एक ही है तथा दुकान के ऊपर ही अप्रार्थी का रहवास है, जहां वह अपने परिवार के साथ निवास करता है। अप्रार्थी द्वारा जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर घरेलू उपयोग हेतु दुकान पर लाकर रखा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है तथा व्यवसाय हेतु व्यावसायिक सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर लौटाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के दर्ज नहीं किये गये हैं, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।




(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर